

30  
न्यायालय नायब तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 380/18

सरकार

बनाम

श्री: अरुणेश फू

रामचन्द्र जाख

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक 13/3/18

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 LR Act इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री अरुणेश फू पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाख निवासी शिवावाड़ा तहसील महवा ने संवत् 20- फसल रवि / खरीफ में ग्राम शिवावाड़ा की राजकीय आराजी खसरा नं. 382 कुल 0.11 1/4 किस्म गेहूँ भूमि से 400 मीटर रकबा पर अनाधिकृत रूप से भूजान कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेदखल किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0.04 का 50 गुना 2000 की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रजिस्टर ग/घ के पेश नं. 120 पर  
वर्ष 2017-18 में  
की राशि तादादी रूपये 2000  
की जमा कायमी की गई।  
दिनांक 13/3/18 तहसील महवा  
न्यायालय महवा

नायब तहसीलदार  
महवा (दौसा)  
महवा जिला दौसा